वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2018-कार्तिक 18, शके 1940**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH

High Court Campus, Jabalpur-482001

दिनांक 02 नवम्बर, 2018

[विधिज्ञ परिषद के नियम-8(9) के अनुसार परिणाम की सूचना]

क्र.-एस.बी.सी./एम.पी./अधीक्षक/5228/2018.—राज्य अधिवक्ता परिषद के विधिज्ञ परिषद के सदस्य के लिये मुझे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है. मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पृथक् से आदेश पत्रिका में लेख प्रक्रिया के अनुसार मतगणना का कार्य सम्पन्न किया. जिसमें श्री सुनील गुप्ता को विधिज्ञ परिषद के सदस्य के रूप में विजयी घोषित किया गया. आपकी ओर परिणाम व परिणाम की सूचना प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित है.

जे. एस. ठाकुर,
चुनाव अधिकारी,
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद.

(663)

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

Before marriage my name was Kumari Geeta Balwani D/o Shri Shrichand Balwani, now after my marriage My Name is Muskan Bharani W/o Lalit Bharani. Now present and future I have been known as Muskan Bharani.

Old Name:

(GEETA BALWANI)

New Name :

(MUSKAN BHARANI)
19, Abhinav Ishan Homes,
Ravidas Nagar Bhel, Bhopal.

(654-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, हीरा खान पुत्र श्री कमालुदीन, उम्र 53 वर्ष, निवासी गेंडे वाली सड़क, बकरा मण्डी, पीपल वाली गली, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश हूँ. मेरा आधार क्रमांक 376743283554 है. मेरी एल. आई. सी. पॉलिसी क्रमांक 200036757 है. जिसमें मेरा नाम हीरालाल सोलंकी पुत्र श्री कमल खां लिपिकीय त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है. जबकि मेरा सही नाम हीरा खान पुत्र श्री कमालुदीन है जो कि सत्य व सही है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेजों में भी अंकित है. अत: भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक सही नाम हीरा खान पुत्र श्री कमालुदीन के नाम से जाना, पहचाना जावे एवं मेरी एल. आई. सी. पॉलिसी क्रमांक 200036757 में भी दर्ज एवं मान्य किया जावे.

पुराना नाम : **(हीरालाल सोलंकी)** पुत्र श्री कमल खां.

नया नाम : **(हीरा खान)** पुत्र श्री कमालुदीन.

(655-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता नत्थाराम गौडिया पुत्र स्व. श्री सीताराम गौडिया द्वारा आपकी बीमा कम्पनी में एक पॉलिसी क्रमांक 200299852 कराई गई थी. जिसमें मेरा नाम नत्थाराम बाथम त्रुटिवश लिख गया है. जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर कार्ड, राशनकार्ड में एवं अन्य दस्तावेजों में नत्थाराम गौडिया लिखा है जो कि मेरा वास्तविक सही नाम है. अत: भविष्य में मुझे सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में नत्थाराम गौडिया पुत्र स्व. श्री सीताराम गौडिया के नाम से ही जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम : **(नत्थाराम बाथम)**

नया नाम : **(नत्थाराम गौडिया)**
पुत्र स्व. श्री सीताराम गौडिया,
निवासी-मेवाती मोहल्ला, सागरताल रोड,
जगनापुरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(656-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता श्रीमती द्रोपदी गौडिया पत्नी नत्थाराम गौडिया द्वारा आपकी बीमा कम्पनी में एक पॉलिसी क्रमांक 200299851 कराई गई थी. जिसमें मेरा (शपथकर्ता) का नाम द्रोपदी गौडिया के स्थान पर त्रुटिवश दुर्गाबाई लिख गया. जबकि मेरे समस्त शासकीय कागजातों, आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर कार्ड, राशनकार्ड में एवं अन्य दस्तावेजों में द्रोपदी बाथम त्रुटिवश लिखा है. इसी प्रकार उक्त पॉलिसी में बाथम त्रुटिवश लिख गया है. जबकि मेरा सही नाम द्रोपदी गौडिया है. अत: भविष्य में मुझे सभी सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों में द्रोपदी गौडिया के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम : **(दुर्गाबाई)**

नया नाम : **(द्रोपदी गौडिया)**
पत्नी नत्थाराम गौडिया,
निवासी-मेवाती मोहल्ला, सागरताल रोड,
जगनापुरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(657-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, हिन्छलाल यादव मध्यप्रदेश पू.क्षे.वि.वि.कं. सीधी शहर में वाहन चालक पद पर कार्यरत हूँ मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में मेरा नाम हिन्छलाल अहिर है. पुत्र स्व. श्री सुग्रीव प्रसाद अहिर दर्ज है. लेकिन मेरे सेवा अभिलेख में हिन्छलाल यादव पुत्र स्व. श्री सुग्रीव प्रसाद यादव है. जो कि पूर्व में कभी अहिर तो कभी यादव के नाम से जाने जाते थे और अहिर एवं यादव एक ही व्यक्ति के है. अत: आज दिनांक से मुझे हिन्छलाल यादव पुत्र श्री सुग्रीव प्रसाद यादव के नाम से जाना जावे एवं लिखा जावे.

पुराना नाम : **(हिन्छदलाल अहिर)**

नया नाम : **(हिन्छलाल यादव)**
वर्तमान पता-सुभाष नगर, वार्ड 02,
बनिया कॉलोनी, सीधी (म.प्र.).

(668-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम धर्मेन्द्र सिंह आत्मज श्री प्रेमसिंह था. अत: भविष्य में मुझे धर्मेन्द्र सिंह के स्थान पर धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया के नाम से जाना एवं पहचाना जाए.

पुराना नाम : नया नाम :

(धर्मेन्द्र सिंह) **(धर्मेन्द्र सिंह सिसोदिया)**

आत्मज-प्रेमसिंह सिसोदिया,
म. नं. 147, एस्सारजी,
सम्पदा खजूरी कला, भोपाल.

(669-बी.)

आम सूचना

(01 अप्रैल, 2012) सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. एस. आर. डी. कांस्ट्रक्शन एक पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 05/26/01/00105/10 है. दिनांक 05-10-2010 को पंजीकृत फर्म में चार (पार्टनर) साझेदार जो कि (1) शिव प्रसाद शुक्ला, (2) वैभव मिश्रा, (3) जय प्रकाश नारायण, (4) मजीद अहमद अंसारी हैं जो कि अब दो साझेदार 01 अप्रैल, 2018 से (3) जयप्रकाश नारायण व (4) मजीद अहमद अंसारी फर्म से पृथक् हो चुके है.

(01 अप्रैल, 2015) सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. एस. आर. डी. कांस्ट्रक्शन एक पंजीकृत फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 05/26/01/00105/10 है. दिनांक 05-10-2010 को पंजीकृत फर्म में दो (पार्टनर) साझेदार जो कि (1) शिव प्रसाद शुक्ला, (2) वैभव मिश्रा हैं. जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से वैभव मिश्रा फर्म से पृथक् हो चुके हैं एवं दिनांक 01 अप्रैल, से एक नए (पार्टनर) साझेदार देवी प्रसाद शुक्ला सम्मिलित हो रहे हैं.

उक्त लेख में पृथक् होने वाले (पार्टनर) साझेदार से लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. किसी को कोई आपत्ति हो तो दस दिवस के अन्दर सूचित करें.

SRD Construction,
शिव प्रसाद शुक्ला,
(Partner)
प्रभात बिहार कॉलोनी,
जिला सतना (म.प्र.).

(658-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स शिवशक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0034/16, दिनांक 25-05-2016, कार्यालय 82, सरस्वती नगर, यूनिवर्सिटी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) में है जिसके वर्तमान में भागीदार विजय सक्सैना पुत्र श्री कृष्णनारायण सक्सैना, श्रीमती सुनीता सक्सैना पत्नी श्री विजय सक्सैना, श्री पुष्पेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री कोक सिंह तोमर, श्रीमती उषा शुक्ला पत्नी श्री नारायण शुक्ला हैं तथा श्री अमित शुक्ला पुत्र श्री नारायण शुक्ला, निवासी-395, जीवाजी नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) फर्म से दिनांक 20-08-2018 को पृथक् हो चुके हैं तथा श्री देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री पी. एस. तोमर, निवासी वार्ड नं. 14, कृष्णा कॉलोनी, अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.) को दिनांक 20-08-2018 से बतौर भागीदार सम्मिलित किया गया है. सभी भागीदारों द्वारा संशोधित भागीदारी विलेख दिनांकित 20-08-2018 को संपादित किया जा चुका है. अत: सर्व-साधारण सूचित हो.

फर्म मैसर्स शिवशक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स,
श्री विजय सक्सेना, श्रीमती सुनीता सक्सेना,
श्री पुष्पेन्द्र सिंह तोमर, श्रीमती उषा शुक्ला,
श्री अमित शुक्ला, श्री देवेन्द्र सिंह तोमर,
(भागीदार).

(659-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ शाकांभरी देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00052/13 एवं दिनांक 03-06-2013 है जो सी-4001, विन्डसर हिल्स, सिटी सेन्टर, ग्वालियर में स्थित है. जिसमें दिनांक 01-11-2018 को भागीदार श्री राधेश्याम अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर लाल अग्रवाल, निवासी जी-14, चेतकपुरी झांसी रोड, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म

से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-11-2018 से फर्म का मुख्य स्थान सी-4001, विन्डसर हिल्स, सिटी सेन्टर, ग्वालियर से परिवर्तित कर सी-501, होदपुर रोड़, न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे, लोट्स-विला अपार्टमेंट, सिटी सेन्टर, ग्वालियर पर हो गया है. आमजन सर्वजन सूचित हो.

माँ शाकांभरी देवी कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
तनुज अग्रवाल
(भागीदार)
सी-4001 विन्डसर हिल्स, सिटी सेन्टर, ग्वालियर.

(660-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में मेसर्स रॉयल सॉ मिल, पता-20, जूना नागदा, नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/05/00018/05, दिनांक 22-08-2005 है. जिसमें आज दिनांक 06-07-2018 तक दो भागीदार (1) श्री उस्मान अली आत्मज श्री मामूरशाह, 770, चंबल मार्ग, नागदा, जिला उज्जैन एवं (2) श्री देवीलाल डाबी आत्मज श्री रामलाल डाबी, 770, चंबल मार्ग, नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश सम्मिलित थे. दिनांक 06-07-2018 से भागीदारों की वापसी सहमति से दो नवीन भागीदार श्री राकेश डाबी आत्मज श्री देवीलाल डाबी, 770, चंबल मार्ग, नागदा, जिला उज्जैन एवं श्री दिनेश डाबी आत्मज श्री देवीलाल डाबी, 295, चंबल मार्ग, नागदा, जिला उज्जैन फर्म में सम्मिलित हो गए हैं. इस प्रकार आज दिनांक 06-07-2018 का निम्नलिखित भागीदार हैं. 1. श्री उस्मान अली आत्मज श्री मामूरशाह, 2. श्री देवी लाल डाबी आत्मज श्री राम लाल डाबी, 3. श्री राकेश डाबी आत्मज श्री देबीलाल डाबी, 4. श्री दिनेश डाबी आत्मज श्री देवी लाल डाबी एवं इसी दिनांक से फर्म का नवीन पंजीकृत पता सर्वे क्रमांक 567, प्लॉट क्रमांक 2 जूना नागदा रोड, नागदा, जिला उज्जैन हो गया है पूर्व पता-20, जूना नागदा रोड, नागदा, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश निरस्त हो कर फर्म का व्यवसाय पता आगे नहीं रहेगा भागीदारी फर्म मेसर्स रॉयल सॉ मिल में उपरोक्त परिवर्तन एवं सर्वजन व आमजन सूचित हों.

फर्म मैसर्स रॉयल सॉ मिल,
देवी लाल डाबी,
(भागीदार)
नागदा मध्यप्रदेश.

(661-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मैसर्स श्रृद्धा कंस्ट्रक्शन, 174, अनुपम नगर, जिला ग्वालियर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00105/12, दिनांक 23-08-2012 जिसमें दिनांक 26-06-2018 को साझेदारी फर्म में संशोधन कर फर्म से पक्षकार क्रमांक 3 श्री देवराज शर्मा पुत्र श्री चंद्रशेखर शर्मा, आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम देभई, जिला दतिया तथा पक्षकार क्रमांक 5 श्री कृष्णकांत कटारे पुत्र श्री के. एन. शर्मा, आयु 31, निवासी 195, त्यागी नगर, मुरार, ग्वालियर जो कि अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. इस फर्म से पृथक् हुए साझेदारों का इस फर्म से किसी भी प्रकार का कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स श्रृद्धा कंस्ट्रक्शन,
नीलम त्यागी,
(पार्टनर).

(662-बी.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/s CHOUDHARY BUILDERS & DEVELOPERS " of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/00333/2010 - 2010-2011 Bhopal dated of Registration 08-11-2010 undergone the following changes:-

1. That Smt. Sandhya Mishra W/o, Shri Deepak Mishra has joined the firm and Shri V. K. Amar S/o, Late Shri Radha Kirshna Amar has desire to retire from the partnership firm w.e.f. 01/04/2017.

"M/s CHOUDHARY BUILDERS & DEVELOPERS "
DEEPAK MISHRA,
(Partner)
41, Sector-C, Sarvadharm Colony,
Kolar Road, Bhopal (M.P.).

(664-B.)

NOTICE

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "M/s Bundelkhand Mining Company" of Chhatarpur vide Registration No. 06/12/01/00001/13, 2013-14 dated 02/04/2013 undergone the following changes:-

3. That (1) Subodh Dwivedi S/o Shri C.B. Dwivedi, (2) Shri Shiv Kumar Singh S/o, Shri ratnesh kumar, (3) Shri girraj singh parmar S/o, Shri Munna Singh has joined and (1) Ashok Dubey S/o Shri Moolchandra Dubey, (2) Shyam Sundar Mishra S/o Shri Ishwari Prasad Mishra desire to retire from the partnership firm w.e.f.03/03/2017.

4. That the principal place of business is shifted at House No-16, Sector-4 peptech town Nowgong Road, Chhatarpur (M.P.) w.e.f. 03/03/2017

"M/s Bundelkhand Mining Company"
JEETENDRA PRAKASH PATERIYA,
(Partner)
House No-16, Sector-4 Peptech Town,
Nowgong Road, Chhatarpur (M.P.).

(665-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मैसर्स विनायक माइनिंग कम्पनी, एच. ए. 4, दीनदयाल नगर, ग्वालियर जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 02/42/01/00007/11, दिनांक 27-04-2011 जिसमें दिनांक 17-05-2018 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्रीमती गीता मिश्रा पत्नि श्री मनोज कुमार मिश्रा, आयु 37 वर्ष, निवासी एच. ए. 4, दीनदयाल नगर, ग्वालियर मध्यप्रदेश तथा पक्षकार क्रमांक 4 श्रीमती संगीता मिश्रा पत्नि श्री धर्मेन्द्र मिश्रा, आयु 27 वर्ष, निवासी एच. ए. 4 दीनदयाल नगर, ग्वालियर म.प्र. जो कि इस फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यो में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यो में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स विनायक माइनिंग कम्पनी,
मनोज कुमार मिश्रा,
(भागीदार).

(666-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 24-09-2018 को साझेदारी फर्म मैसर्स संजय शिवहरे एण्ड कम्पनी, सौदागर संतर, मुरार, ग्वालियर म.प्र. जिसका पंजीयन क्रमांक ARG/Firm/73/03, दिनांक 24-03-2004 है. जिसमें दिनांक 23-03-2006 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 2 श्री सुरेश गुप्ता पुत्र श्री सूरज प्रसाद गुप्ता, निवासी सी. पी. कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर जिनकी मृत्यु दिनांक 23-03-2006 को हो गई थी व पक्षकार क्रमांक 3 श्रीमती गायत्री देवी गुप्ता पत्नि श्री सुरेश गुप्ता, निवासी सी. पी. कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर जो कि फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा इनके स्थान पर नवीन साझेदार के रूप में पक्षकार क्रमांक 2 श्रीमती किरन शिवहरे पत्नि श्री संजय शिवहरे, आयु 46 वर्ष, निवासी सौदागर संतर, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश जो कि नवीन साझेदार के शामिल हुए है. फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स संजय शिवहरे एण्ड कम्पनी,
संजय शिवहरे,
(पार्टनर).

(667-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनुभाग राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक कपूरचंद कुमरावत पिता गुलाबचंद कुमरावत अध्यक्ष पता-कृष्णकुंज सिविल लाईन, खण्डवा व अन्य द्वारा संयुक्त तम्बोली समाज न्यास पता-11, द्वारकापुरी फूटी कोठी के पास इन्दौर के पंजीयन हेतु फार्म 4(2) के तहत् निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रुपये 5/- का चालान क्रमांक 80, दिनांक 30 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया है. न्यास की चल सम्पत्ति में मात्र रुपये 10000/- नगद है तथा न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	संयुक्त तम्बोली समाज न्यास.
कार्यालय पता	:	11, द्वारकापुरी फूटी कोठी के पास, इन्दौर
चल सम्पत्ति	:	10000/- रु. नगद.
अचल सम्पत्ति		निरंक.

आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

रवि कुमार सिंह,
पंजीयक.

(1253)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक न्यासी श्री पियुष गंगवाल, पता 104, बड़जात्या ट्रेड सेन्टर-1 फ्लोअर राजमोहल्ला, इन्दौर द्वारा बाल ब्रहमचारी राजेन्द्र वरनी धरम प्रभावना पारमार्थिक ट्रस्ट कार्यालय पता 2/3, मुराई मोहल्ला, छावनी, इन्दौर का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	बाल ब्रहमचारी राजेन्द्र वरनी धरम प्रभावना पारमार्थिक ट्रस्ट.
पता	:	2/3, मुराई मोहल्ला छावनी, इन्दौर.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी ग्यारह हजार मात्र).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक .... अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राकेश शर्मा,
पंजीयक.

(1254)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) अनुभाग (मल्हारगंज) इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट, नियम-1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री प्रभाकर आप्टे पिता श्री नीलकंठ आप्टे द्वारा "श्री रामसकेबुआ श्री राम मंदिर ट्रस्ट" कार्यालय पता-304, त्रिंबक अपार्टमेंट, 3 नारायण बाग, इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिवस) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री रामसकेबुआ श्री राम मंदिर ट्रस्ट"
कार्यालय पता	:	304, त्रिंबक अपार्टमेंट, 3, नारायण बाग, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 21, 14, 691.40/-(अक्षरी रुपये इक्कीस लाख चौदह हजार छह सौ इक्यान्वे रुपये चालीस पैसे मात्र) है जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1255)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, मल्हारगंज, इन्दौर

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस: (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री दिनेश शर्मा पिता स्व. मोहनलालजी शर्मा, निवासी 91, रतनबाग कॉलोनी, एरोड्रम रोड, इन्दौर के द्वारा "आद्य गौड ब्राहम्ण सेवा न्यास" कार्यालय पता-आद्य गोड ब्राहम्ण समाज धर्मशाला 43, नलिया बाखल, इन्दौर (म.प्र.) का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात (30 दिन) के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"आद्य गौड ब्राहम्ण सेवा न्यास"
कार्यालय पता	:	आद्य गोड ब्राहम्ण समाज धर्मशाला 43, नलिया बाखल, इन्दौर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति में रुपये 16000/- (अक्षरी रुपये सोलह हजार) है. जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.

आज दिनांक 30 जुलाई, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

सोहन कनाश,
रजिस्ट्रार.

(1260)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर-मालवा

रा.प्र.क्र.01/बी-113/2018-19. आगर, दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

प्रारुप क्र. 4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(2) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष.

आवेदक गोपाल पिता शिवनारायण सोनी जाति सोनी, निवासी पाल रोड, आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में सरकार सेवा संस्थान आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	सरकार सेवा संस्थान आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
चल सम्पत्ति	:	अनुमानित मूल्य रुपये 51000.00 नगदी (अक्षरी रुपये इक्कावन हजार मात्र).

महेन्द्रसिंह कवचे,
पंजीयक.

(1256)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड

प्र.क्र.01/बी-113(1)/2018-19 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018

(प्रारूप-चतुर्थ)

[देखिये नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 और मध्यप्रदेश लोक न्यास 1962 नियम-5 देखिये]

चूंकि मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र हरीओम अग्रवाल जाति वैश्य अध्यक्ष मंदिर श्री नरसिंह भगवान अग्रवाल समाज प्रबंधन समिति मौ, निवासी वार्ड नं. 05, मौ ने मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास की सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, अनुविभागीय अधिकारी, गोहद, जिला भिण्ड का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास का सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्तियां सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्तियों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास (अर्थात् 30 दिवस) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"मंदिर श्री नरसिंह भगवान अग्रवाल समाज प्रबंधन समिति मौ"
कार्यालय	:	वार्ड नंबर 14, मेहगांव श्योड़ा रोड, मौ, तहसील मौ, जिला भिण्ड (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	आवेदन में वर्णित अनुसार सर्वे क्रमांक 280 रकवा तीन बीघा दो विस्वा जिसमें मंदिर परिसर श्री नरसिंह भगवान तथा मंदिर श्री हनुमानजी, मंदिर श्री चक्रधारी शंकर जी, रामजानकी माता के दो मंदिर, सूर्य मंदिर तथा मंदिर परिसर में ग्यारह कमरे पक्के तथा पांच दुकानें.
चल सम्पत्ति	:	बैंक पासबुक पेश न करने से चल सम्पत्ति निरंक.

डी. के. शर्मा,

(1257) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 05 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2018/4356.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1163, होशंगाबाद, दिनांक 05 मई, 2017 के द्वारा परिसमापन श्रद्धा महिला साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2726, दिनांक 05 जनवरी, 2001 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्ट्री रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद परिसमापन श्रद्धा महिला साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्र. 2726, दिनांक 05 जनवरी, 2001 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अखिलेश कुमार निगम,

(1250) डिप्टी रजिस्ट्रार.

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत्]

प्रति,

श्रीमति अनिता पाण्डे, खिलचीपुरा, (मन्दसौर).

शिवा स्व सहायता समूह महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर.
तहसील व जिला मन्दसौर.

शिवा स्व सहायता समूह महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मन्दसौर, तहसील व जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 983,

दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गई:—

1. संस्था वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है. जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं करवाया गया.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी समितियॉं, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(1177)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत्]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी.

सारथी अ. जा. मत्स्योद्योग सहकारी भण्डार मर्या., गुलाबपुरा.
तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर.

सारथी अ. जा. मत्स्योद्योग सहकारी भण्डार मर्या., गुलाबपुरा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर जिसका पंजीयन क्रमांक 983, दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 है का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि संस्था की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनियमितताएं पाई गई.—

1. संस्था वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की अंकेक्षण टीपों के आधार पर अकार्यशील रही है जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(ए) का उल्लंघन है.
2. संस्था द्वारा कार्य नहीं किए जाने से संस्था के सामान्य हितों में कार्य करने में असफल रही है. जो मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(बी) का उल्लंघन है.
3. संस्था अकार्यशील है संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधि में उल्लेखित उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही है. इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2)(सी) का उल्लंघन है.
4. संस्था द्वारा संचालक मण्डल का निर्वाचन सम्पन्न नहीं करवाया गया.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी समितियॉं, मन्दसौर यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावे. आप अपना उत्तर दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 तक मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. आपके द्वारा अपना पक्ष समर्थन न करने की दशा में उक्त अनुसार आदेश जारी किए जावेंगे.

यह आदेश आज दिनांक 29 सितम्बर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक.

(1178)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2018-कार्तिक 18 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 मई, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में प्राय: मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के निम्न लिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार (भिण्ड), कोतमा अनूपपुर, घुघरी (मण्डला) छिन्दवाड़ा, पांढुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील, रोन मिहोना (भिण्ड) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई:**- जिला पन्ना, दमोह, मन्दसोर, नीमच, शाजापुर, धार, खरगोन, सीहोर, बैतूल, होशंगाबाद, डिण्डोरी, छिंदबाड़ा व सिवनी में कहीं-कहीं जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी:**- . .

4. **फसल स्थिति:**- . .

5. **कटाई:**- . .

6. **सिंचाई:**- जिला शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, उज्जैन, शाजापुर, अलीराजपुर, बड़वानी, सीहोर, विदिशा, जबलपुर, डिण्डोरी व सिवनी जिले में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति:**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा:**- राज्य के जिला शिवपुरी में चारा अपर्याप्त मात्रा में एवं शेष जिलों में पशुओं के लिये चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज:**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक:**- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 मई, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धाान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	10.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	16.0				
4. मेहगांव	16.6				
5. लहार	6.2				
6. रौनमिहोना	176.0				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. *जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. डबरा	. .		(2) . .		
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त	7. पर्याप्त
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा अपर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	. .				
7. *जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	. .				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	. .				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	. .				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	. .				
12. बक्सवाहा	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमारिया	. .				
9. शाहनगर	. .				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4.(1) उड़द, मूँग, मोठ-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-(बघेलान)	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर			(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुर(कर्चुलियान)	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .				
4. बुढ़ार	. .				
5. गोहपारू	. .				
6. जैतपुर	. .				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	9.0				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त,	
3. चंदिया	. .				
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	. .				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	. .				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	. .				
4. माडा	. .				
5. सिंगरौली	. .				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मंदसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	. .				
10. संजीत	. .				
11. कयामपुर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3.	. .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4.(1)	. .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2)	. .	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगौली	. .					
4. जीरन	. .					
5. रामपुर	. .					
6. मनासा	. .					
23.जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3.	. .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4.(1)	. .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2)	. .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .					
4. बाजना	. .					
5. ताल	. .					
6. रावटी	. .					
7. पिपलोदा	. .					
8. रतलाम	. .					
24.जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3.	. .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1)	. .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिद्पुर	. .		(2)	. .	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	. .					
4. घटिया	. .					
5. उज्जैन	. .					
6. बड़नगर	. .					
7. नागदा	. .					
25.जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3.	. .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	. .		4. (1)	. .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2)	. .	चारा पर्याप्त	
3. नलखेड़ा	. .					
4. आगर	. .					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3.	. .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	. .		4.(1)	. .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2)	. .	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	. .					
4. कालापीपल	. .					
5. पोलाय कलां	. .					
6. अबंतीपुर बडौदिया	. .					
7. गुलाना	. .					
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3.	. .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4.(1)	. .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2)	. .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .					
4. बागली	. .					
5. कन्नोद	. .					
6. हाटपिपल्या	. .					
7. सतवास	. .					
8. उदयनगर	. .					
9. खातेगांव	. .					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्ठीवाड़ा	. .				
4. सोंडवा	. .				
5. चन्द्रशेखर आ. नगर	. .				
6. उदयगढ़	. .				
7. ़भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. हातोद	. .				
5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	. .				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	. .				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. अंजड	. .				
8. बरला	. .				
9. निवाली	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पुनासा	. .		(2) . .		
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	. .				
5. हरसूद	. .				
35.जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
36.जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासोदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	. .				
38. *जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बैरागड़	. .		(2) . .	. .	
3. हुजूर	. .				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	. .		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	. .				
4. नसरूल्लागंज	. .				
5. रेहटी	. .				
6. श्यामपुर	. .				
7. जावर	. .				
8. बुधनी	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41.जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7 पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42.जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) उड़द, मूंग-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) उड़द, मूंग-कम.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .			चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .		(2) . .		
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	. .		4.(1) उड़द, मूँग-कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	. .			चारा पर्याप्त.	
3. करेली	. .		(2) . .		
4. गाडरवारा	. .				
5. तेंदूखेड़ा	. .				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मण्डला	. .		4.(1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नैनपुर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बिछिया	10.0				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	0.6				
6. घुघरी	4.5				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4.(1) मक्का समान. उड़द कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	. .				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जुन्नार देव	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. छिन्दवाड़ा	6.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. तामिया	. .				
4. परासिया	. .				
5. जामइ	. .				
6. सोंसर	. .				
7. बिछुआ	. .				
8. अमरवाड़ा	25.2				
9. चौरई	42.4				
10. उमरेठ	. .				
11. मोहखेड	. .				
12. हर्रई	. .				
13. चांद	7.3				
14. पांढुर्णा	0.5				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	. .			चारा पर्याप्त	
3. कुरई	. .		(2) . .		
4. केवलारी	. .				
5. लखनादोन	. .				
6. छपारा	. .				
7. धनोरा	. .				
8. घंसोर	. .				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4.(1) धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) धान समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	. .				
4. बैहर	. .				
5. वारासिवनी	. .				
6. कटंगी	. .				
7. लालबर्रा	. .				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	. .				
10. बिरसा	. .				
11. खैरलांजी	. .				

टीप:- जिला ग्वालियर, अशोकनगर, खण्डवा, भोपाल से पत्रक अप्राप्त है.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1252)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.